राजस्थान—सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 05 / 2023 प्रार्थना पत्र

उनवान

प्राधिकृत अधिकारी — बजाज हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, शाखा कार्यालय तीसरी मंजिल, लैंडमार्क टावर, जय क्लब के सामने, सी—स्कीम, जयपुर —— प्रार्थी	बनाम	1. श्री नरेन्द्र सिंह रावत (मृतक) जरिये विधिक वारिसान श्रीमती सरोज देवी निवासी आसीन्द, तहसील आसीन्द, जिला भीलवाड़ा। ——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

प्राधिकृत अधिकारी — श्री महेन्द्र सिंह चौहान।

निर्णय

दिनांक : 13.02.2023

प्राधिकृत अधिकारी— बजाज हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, शाखा कार्यालय तीसरी मंजिल, लैंडमार्क टावर, जय क्लब के सामने, सी—स्कीम, जयपुर की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया गया, जिसमें उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की गयी थी, जिसमें अप्रार्थी को 21,73,370 /— रूपये का ऋण दिनांक 24.03.2021 को स्वीकृत किया गया। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर भूमि व भवन जो अचल सम्पति — **प्लॉट नंबर 14, बाजून्दा रोड, ग्राम आसीन्द, तहसील आसीन्द, जिला भीलवाड़ा कुल क्षेत्रफल 125 वर्ग गज जिसके पडौस पूर्व—रोड 30 फुट, पश्चिम—संत पाल स्कूल, उत्तर—प्लाट नं. 22, दक्षिण—प्लॅट नं. 13 है** (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार) रहन रखी गयी। दिनांक 17.09.2021 तक कुल बकाया ऋण की राशि 22,46,229 /— रूपये है। अप्रार्थी के द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया, परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को 01.09.2021 को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है, जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।